

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-262/2023)/अलेसे-III/9978

दिनांक:- 27/11/2025

कार्यालय आदेश

सुश्री श्वेता जैन, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 728686) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उनियारा मु. अलीगढ (टोंक) के पत्र क्रमांक 67 दिनांक 01.09.2025 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम भाग-I के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 08.07.2025 से 29.07.2025 कुल (22 दिवस)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री श्वेता जैन, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। स्वीकृत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार अभिवृद्धि की जाएगी।

(संध्या शर्मा)
26/11/2025

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-262/2023)/अलेसे-III/9978

दिनांक:- 27/11/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उनियारा मु. अलीगढ (टोंक)।
2. वरिष्ठ निजि सचिव निदेशक महोदय।
3. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
4. सुश्री श्वेता जैन, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 728686) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उनियारा मु. अलीगढ (टोंक)।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/निजिपत्रावली।

(सीमा कौशल)
26/11/25
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)